डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (म.प्र.)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

क्रमांक/आर/2021/7 /938 02 दिसम्बर 2021

* परिपत्र *

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 908/227/सी.सी./2021/अड़तीस दिनांक 18.11.2021 तथा मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35–09/2020/सी–2/दो दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियाँ 18 नवम्बर 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100% उपस्थिति के साथ प्रारंभ की गई है। संदर्भित आदेश की छायाप्रति संलग्न है।

संदर्भित आदेश के अनुसार ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जायेगा, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद होगा। उक्त निर्देशों के परिपालन में 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक/स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं हेतु छात्रावास खोले जायेंगे तथा मेस व्यवस्था की जायेगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विश्वविद्यालय तथा छात्रावासों में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र–छात्राओं एवं समस्त स्टॉफ को वैकसीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 45+ संवर्ग के एवं द्वितीय चरण में 18+ संवर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश हैं। समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र–छात्राएं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगे हैं उन्हें दोनों टीके लगवाये जाएं। जो विद्यार्थी दिनांक 18.11.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किये हैं, ऐसे विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन न होने की स्थिति में भी विश्वविद्यालय आने की अनुमति होगी।

कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण के बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

आदेशानुसार,

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

कुलसचिव (प्र.) 02/12/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिष्ठाता/निदेशकगण
2. अधिष्ठाता, छात्र गतिविधियाँ
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. चेयरमेन, काउंसिल ऑफ वार्डन (बालक छात्रावास) – *कृपया छात्रावास एवं मेस खोलने संबंधी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें।*
5. मुख्य प्रतिपालक (बालिका छात्रावास) – *कृपया छात्रावास एवं मेस खोलने संबंधी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें।*
6. प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, प्रो. इंचार्ज लाइब्रेरी, प्रभारी वित्ताधिकारी
7. कुलानुशासक एवं सुरक्षा अधिकारी

} कृपया समस्त विभागीय शिक्षकों, शोद्यार्थियों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों को इस परिपत्र के अनुसार जिनके द्वारा कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें दोनों टीके अनिवार्य रूप से लगवाने एवं उक्त दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

8. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – *कृपया ऐसे शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थीगण जिनके द्वारा कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें दोनों टीके अनिवार्य रूप से लगवाये जाने हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से टीकाकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।*
9. समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी
10. प्रभारी डी.सी.डी.सी. – *कृपया वि.वि. के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित करें कि महाविद्यालय के समस्त शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी/विद्यार्थीगण जिनके द्वारा कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें दोनों टीके अनिवार्य रूप से लगवाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।*
11. प्रभारी मीडिया अधिकारी – *कृपया इस परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रचार–प्रसार के लिये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।*
12. प्रो. इंचार्ज आई.टी. सेल – *कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें*
13. कुलपति के सचिव – माननीय कुलपति महोदया के सूचनार्थ
14. कुलसचिव के निज सहायक
15. गार्ड फाईल

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय–462004
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 18 / 11 / 2021

क्रमांक 908/2271/सी.सी. / 2021 / अड़तीस :: मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 35–09 / 2020 / सी–2 / दो, भोपाल दिनांक 17 नवम्बर, 2021 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सत्र 2021–22 की शैक्षणिक गतिविधियाँ 18 नवम्बर, 2021 से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से 100% उपस्थिति के साथ प्रारंभ की जाती है।

ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जायेगा, ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बन्द होगा। उक्त निर्देशों के परिपालन में 100% क्षमता के साथ पुस्तकालय एवं स्नातक / स्नातकोत्तर सभी कक्षाओं हेतु छात्रावास खोले जायेगे तथा मैस व्यवस्था की जायेगी।

कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों तथा छात्रावास में 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र–छात्राओं एवं समस्त स्टॉफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 45+ संवर्ग के एवं द्वितीय चरण में 18+ संवर्ग के नागरिकों को वैक्सीन लगवाने के निर्देश हैं। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे शैक्षणिक, अशैक्षणिक कर्मचारी तथा छात्र–छात्राएं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगे हैं उन्हें दोनों टीके लगवाया जाए। जो विद्यार्थी दिनांक 18.11.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किये है ऐसे विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन न होने की स्थिति में भी महाविद्यालय आने की अनुमति होगी।

कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

18-11-21

(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक: / सी.सी. / 2021 / अड़तीस — भोपाल, दिनांक / 11 / 2021

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल म.प्र.।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
7. निज सहायक, कुलपति समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
8. कुल सचिव, समस्त परम्परागत / निजी विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्राचार्य, समस्त शास. / अनुदान प्राप्त अशा. / निजी अशा. महाविद्यालय म.प्र.।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग